# कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी – अम्बेडकर नगर ।

**पत्रांक** :मु.चि.अ. / त0नि0प्र0 / कोविड–जाग0 / 2020–2021 / 2574 दिनांक: 11.07.2020

सेवा में,
जिला पंचायत राज अधिकारी
अम्बेडकर नगर ।

**विषय– 15 अगस्त 2020 (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम पंचायतो को तम्बाकू मुक्त के घोषणा के सम्बन्ध में।**

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ सेवाएँ उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ 2020–21 / 8461 23–06–2020 कोविड–19 एवं इसके संक्रमण के रोकथाम हेतु पंचायत स्तर की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने विषयक एवं पूर्व में भी मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश–786 / तीन–18–06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है, तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्ध करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

अतः कोरोना वायरस (कोविड–19) को ध्यान में रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ग्राम पंचायतों की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान मसाला, खैनी आदि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के उपयोग व थूकने पर प्रतिबन्धित लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, साथ ही जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड के 5 ग्राम पंचायतो में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू अधिनियम (COTPA) 2003 का परिपालन सुनिश्चित कराते हुए तम्बाकू मुक्त घोषित कराना शुनिश्चित करें (घोषणा पत्र संलग्न) एवं संबंधित सूचना को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्न –घोषणा पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अम्बेडकर नगर।

**पत्रांक** : मु.चि.अ. / त0नि0प्र0 / कोविड–जाग0 / 2020–2021 / तद्‌दिनांकित् :

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –**

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय / अध्यक्ष एण्टी टोबैको सेल अम्बेडकरनगर ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकर नगर ।
5. यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अम्बेडकर नगर।

# कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी – अम्बेडकर नगर ।

**पत्रांक** :मु.चि.अ. / त0नि0प्र0 / कोविड–जाग0 / 2020–2021 / दिनांकः 11.07.2020

सेवा में,
जिला पंचायत राज अधिकारी
अम्बेडकर नगर ।

**विषय– 15 अगस्त 2020 (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम पंचायतो को तम्बाकू मुक्त के घोषणा के सम्बन्ध में।**

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ सेवाएँ उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ 2020–21 / 8461 23–06–2020 कोविड–19 एवं इसके संक्रमण के रोकथाम हेतु पंचायत स्तर की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान–मसाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं थूकने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने विषयक एवं पूर्व में भी मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश–786 / तीन–18–06(9)18 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जा चुका है, तथा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू एवं पान मसाला के उपभोग को पूर्णतया प्रतिबन्ध करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

अतः कोरोना वायरस (कोविड–19) को ध्यान में रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ग्राम पंचायतों की बैठकों व कार्यालयों में धूम्रपान, पान मसाला, खैनी आदि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के उपयोग व थूकने पर प्रतिबन्धित लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, साथ ही जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड के 5 ग्राम पंचायतो में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू अधिनियम (COTPA) 2003 का परिपालन सुनिश्चित कराते हुए तम्वाकू मुक्त घोषित कराना शुनिश्चित करें (घोषणा पत्र संलग्न) एवं संबंधित सूचना को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न –घोषणा पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अम्बेडकर नगर।

**पत्रांक** : मु.चि.अ. / त0नि0प्र0 / कोविड–जाग0 / 2020–2021 / 2574-5 तद्दिनांकित :

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –**

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी महोदय / अध्यक्ष एण्टी टोबैको सेल अम्बेडकरनगर ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकर नगर ।
5. यू0पी0वी0एच0ए0, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अम्बेडकर नगर।

# घोषणा –पत्र

## तम्बाकू मुक्त ग्राम पंचायत

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम– 2003 का पूर्ण परिपालन करते हुए हम ग्राम प्रधान श्री / श्रीमती .................................... ग्राम पंचायत .................................... विकास खण्ड.................................... जनपद.................................... को आज दिनांक 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर जन समुदाय के स्वास्थ्य को ध्यान मे रखते हुए एवं कोरोना वाइरस (COVID–19 ) के संक्रमण से जन समुदाय तक फैलने से रोकने के क्रम में तम्बाकू मुक्त ग्राम पंचायत की घोषणा करते हैं ।

आज से सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा –2003 का उल्लंघन करते पाए जाने पर 200/ तक जुर्माना किया जायेगा ।

आज्ञा से

....................................

हस्ताक्षर